विचार बिन्दु

घृणा और प्रेम दोनों अंधे होते हैं। –कहावत

न्यायपालिका में डगमगाता विश्वास

गत कुछ समय से भारत की न्यायपालिका बहुत चर्चा में है, किंतु यह चर्चा सही कारणों से नहीं अपितु गलत कारणों से है। देश में जब भी कोई विवाद नहीं सुलझता है तो लोगों को यह कहते हुए देखा जाता है कि–'अदालत में देख लूंगा'। लोगों को यह विश्वास रहता है कि जब और कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय से मिल ही जाएगा। यह भी कहा जाता है कि न्यायालय के लिए सभी समान हैं, कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर।

गत दिनों में जिस प्रकार के निर्णय विभिन्न स्तर के न्यायालयों से आए हैं, उसने इस विश्वास को हिला कर रख दिया है। यह बात भी अब गलत लगती है कि कानून सबके लिए एक समान लागू होता है। जो ताकतवर, अमीर या प्रभावशाली हैं, वे येन-केन-प्रकारेण न्यायालय की सहायता से अपने पक्ष में निर्णय करवाने में सफल हो ही जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका तो वैसे भी सामान्यत: समर्थ और सक्षम लोगों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। एक न्यायपालिका ही थी, जिससे न्याय की अपेक्षा सामान्य नागरिक को रहती थी, किंतु अब वह भी कम होती दिखाई दे रही है। कानून का लाभ वे ही ले पाते हैं जो पैरवी के लिए महंगे वकील कर सकते हैं। साधारण नागरिक के लिए न्यायालयों में महंगे वकीलों का खर्चा वहन करना संभव ही नहीं है।

हम इस लेख में ऐसे ही कुछ फैसलों का जिक्र करेंगे जिनसे न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात लगा है।

सर्वाधिक चर्चित मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव के तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का है। सेंगर को न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील में इस सजा को निलंबित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यह सजा पोक्सो कानून के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने के बाद दी गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 वर्षीय नाबालिग़ बालिका को नौकरी देने का लालच देकर न केवल उसका बलात्कार किया अपितु उसका विरोध करने पर अपने साथियों से उसका गैंगरेप भी करवाया। यूपी पुलिस ने एफ आई आर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिखने से इनकार किया तो इस बालिका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह का प्रयास तक किया।

इसके पिता को थाने में बंद कर उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत ही हो गई। तब पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि उसके प्रकरण को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाय और जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई ने जांच करने के बाद सेंगर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद सेंगर को बलात्कार का दोषी माना। जब पीड़िता सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली जा रही थी तो उसकी दुर्घटना कर दी गई जिसमें उसकी दो मौसियो की मृत्यु हो गई और वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज एम्स में चला। यह तो पीड़िता की हिम्मत ही थी कि वह अपने बयान पर अड़ी रही और लगातार संघर्ष करती रही। मीडिया के समर्थन और उसके संघर्ष का ही परिणाम था कि 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई। पीड़िता के पति को अभी भी कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित कर दी कि वह 7 वर्ष से अधिक जेल में रह चुका है और वह लोक सेवक नहीं था, इसलिए उसे 'एग्रेवेटेड ऑफेंस' के लिए निर्धारित 20 वर्ष की सजा नहीं दी जा सकती। यह उल्लेखनीय है कि पोक्सो कानून के अंतर्गत लोक सेवक अथवा किसी "पर्सन ऑफ ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी" द्वारा अपराध किए जाने पर सजा 7 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की होती है। सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न प्रभावशाली व्यक्ति माना और न लोक सेवक। यह कितना विचित्र है कि विधायक पर दया करते हुए उसकी सजा दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दी। स्पष्ट है, न्यायालय को सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्यारे व्यक्ति को राहत देना अधिक उचित लगा बजाय पीड़िता को न्याय देने के।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की सर्वत्र आलोचना हो रही है और इसे न्याय के विरुद्ध माना जा रहा है। पहले तो सीबीआई ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात नहीं कही, किंतु जैसे ही पीड़िता एवं उसकी मां से राहुल गांधी मिले एवं जन आक्रोश बढ़ता गया तो फिर सीबीआई ने रातों-रात इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलता है अथवा नहीं। पीड़िता ने तो यहां तक कहा है कि यदि सेंगर को जेल से बाहर रखा जाता है तो उसे सुरक्षा की दृष्टि से जेल भेज दिया जाए। लगभग सभी पूर्व न्यायाधीशों और न्यायविदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को कानून का मखौल बताया है। उनके अनुसार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस कड़ी सजा का प्रावधान किसी "पर्सन ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रस्ट" के लिए किया गया था, वह सेंगर पर पूरी तरह लागू होता है, अत: उसे "एग्रेवेटेड ऑफेंस" की सजा ही मिलनी चाहिए।

जब पीड़िता, उसकी मां एवं उनकी महिला वकील उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध दिल्ली के इंडिया गेट पर ठंड में प्रदर्शन करने हेतु बैठे, तो उन्हें वहां से पुलिस द्वारा जबरन घसीट कर हटा दिया गया। प्रधानमंत्री के नारे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का क्या हश्र कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कर रहे हैं, यह इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। कहा तो यह जा रहा है कि कि प्रधानमंत्री के 'बेटी बचाओ' नारे का मतलब ही यह है कि बेटियों को नेताओं से बचा कर रखा जाए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर है तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती है। इससे पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलोकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

एक ओर, जहां सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत देने का आदेश हुआ है वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरण विद् और सामाजिक कार्यकर्ता को महीनों के बाद भी बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी सजा के जमानत नहीं मिली है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को 5 वर्ष से अधिक जेल में हो चुके हैं किंतु अभी तक ट्रायल भी प्रारंभ नहीं हुई। पहली बार उसको बहन की शादी में भाग लेने हेतु 15 दिन की जमानत मिली है। इसके विपरीत, राम रहीम, जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसे अब तक 14 बार पैरोल मिल चुकी है। यह केवल संयोग नहीं है कि जब-जब भी हरियाणा में कोई चुनाव होते हैं इसे पैरोल मिल जाती है। इसी प्रकार बलात्कारी आसाराम भी आजकल 6 महीने के लिए जेल से बाहर है। यह विडंबना ही है कि सत्ताधारी दल, अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम रहीम जैसे बलात्कारी और हत्यारे का उपयोग करने से भी नहीं चूकता। जब दोष सिद्ध बलात्कारियों और हत्यारों को न्यायालय द्वारा जमानत दी जा रही है तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एवं शोध छात्र खालिद की बिना ट्रायल के जमानत न होना, न्यायालयों के एक पक्षीय व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

रिश्वत के मामले में किसी भी कर्मचारी को पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बावजूद अब तक उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। प्रयास यही है कि जैसे-तैसे उन्हें बचाया जाए। ऐसा करके न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं की है।

19 मई, 2024 को पुणे में एक 17 वर्षीय रईस जादे ने शराब के नशे में बिना लाइसेंस के तेज गति से महंगी पोर्श गाड़ी चलाकर आईटी क्षेत्र में कार्यरत दो युवाओं को मार डाला था। वे मोटर साइकिल पर थे। न्यायालय ने उसे नाबालिग मानकर सुधार गृह भेज दिया और उसे सड़क सुरक्षा पर एक लेख लिखने के लिए कहा। जिस अमीर परिवार के व्यक्ति ने तेज गति से गाड़ी चलाकर दो युवाओं को मौत के घाट उतार दिया, उसके प्रति इस प्रकार की उदारता न्यायालय की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है।

दिनांक 23 नवंबर, 2025 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की खंडपीठ ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो निर्णय दिया, उसने पूरी अरावली पर्वतमाला को ही संकट में डाल दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का भाग मानने से ही इनकार कर दिया। यह फैसला तब दिया गया जबकि इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के 'एमिकस क्यूरी' का स्पष्ट मत इसके विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षा का जो कवच उपलब्ध था, वह हटा लिया गया है। इस फैसले के विरुद्ध तीव्र जन आंदोलन प्रारंभ हो गया है और संभवतया इसी को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर से समीक्षा हेतु स्वप्रेरित संज्ञान अपने स्तर पर ले लिया है। यह उल्लेखनीय है की न्यायमूर्ति गवई ने यह आदेश अपनी सेवानिवृत्ति से केवल 3 दिन पूर्व ही दिया था। यदि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सुरक्षा दी जाएगी तो क्या पहाड़ियों के बीच वाली जो 100 मीटर से कम की पहाड़ियां हैं, उनको नष्ट करने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी जाएगी? ऐसा करके न्यायालय ने रियल एस्टेट बिल्डर और खनन माफिया को हजारों करोड़ कमाने की छूट प्रदान कर दी है। स्पष्ट है, इस प्रकार का निर्णय न्याय के आधार पर तो नहीं ही दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से पूरे देश में बवाल हो गया है और सभी पर्यावरण विद् इसके विरोध में आंदोलन तेज कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 90 प्रतिशत भाग राजस्थान के 11 जिलों में स्थित है एवं शेष में से कुछ गुजरात में और कुछ हरियाणा में है। कहा जाता है कि हरियाणा के एक जिले में ही इस प्रकार की छूट से बिल्डरों को लगभग 40000 करोड़ का लाभ होना अनुमानित है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निर्णय देते समय क्या माननीय न्यायाधीशों के मन में यह विचार नहीं आया कि उनके निर्णय से पर्यावरण का कितना नुकसान हो जाएगा? लाखों-करोड़ों वर्ष में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उनको नष्ट करने का रास्ता साफ करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा। न्यायपालिका का उत्तरदायित्व केवल और केवल संविधान के प्रति है, किंतु शायद वह भी सरकार को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए वे कई बार कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए दिखाई देते हैं। न्याय, न केवल होना चाहिए अपितु दिखाई भी देना चाहिए, ऐसा कई बार कहा जाता है, किंतु आजकल न्याय हो ही कम रहा है, इसलिए दिखाई देने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आम जन के हित के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर दें तो लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त आम जन, अपने संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाएगा? समय आ गया है जब न्यायपालिका को अपने स्वयं के भीतर झांक कर देखना होगा कि उसकी छवि नागरिकों में किस प्रकार से गिरती जा रही है? समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर इस गिरती साख को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। न्यायपालिका में सुधार का कार्य जितने प्रभावी तरीके से न्यायपालिका स्वयं कर सकती है उतना शायद दूसरे अंग नहीं कर पाएंगे। यदि न्यायपालिका खुद अपना सुधार नहीं करेगी तो फिर वह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को अपने क्षेत्राधिकार में दखल देने के लिए आमंत्रण देने जैसा होगा।

जब जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम होगा तो जनता भी फिर उनके साथ खड़ी होने से कतराएगी। ऐसी स्थिति न न्यायपालिका के लिए अच्छी होगी और न देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर है तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती है।

इससे पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलोकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अरावली दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण की ओर बढ़ते कदम

राजस्थान में अरावली संरक्षण पर सख़्ती और हरियाली के संकल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

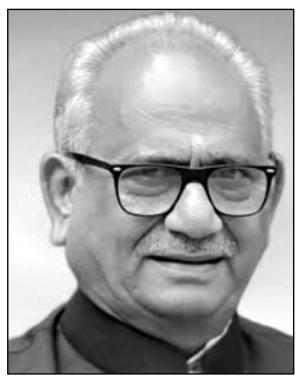

राजेंद्र गहलोत

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। विगत दिनों अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप, आशंकाए और बयान सामने आए हैं, उन्होंने इस अत्यंत संवेदनशील विषय को तथ्यों से अधिक राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के अंतर्गत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 किलोमीटर में फैली हुई है। यह इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

खनन की विरासत और नियंत्रण की आवश्यकता

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहां खनन गतिविधियां चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुंचाई। इसी पृष्ठभूमि में 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए। 2009 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई। यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक और नीतिगत रुख समय के साथ अधिक सख़्त और संरक्षण का होता गया है।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रहीं।अलग-अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय दिया गया। इसका उद्देश्य अस्पष्टताओं का अंत और एक वैज्ञानिक, एकरूप ढांचे की स्थापना था।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 100 मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई को हिल मानने का मानक तय किया था।

यह तथ्य भी रेखांकित होना चाहिए कि 100 मीटर फार्मूले को नीतिगत रूप से पहली बार 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ही दिया। अब यह तय किया गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां और उनसे 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंड फॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएंगे। इस 500 मीटर जोन में आने वाले सभी भूआकृतिक ढांचे (उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

यह भी तथ्यहीन दावा है कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कुल अरावली क्षेत्र में से केवल 2 से 5.6 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित और नियंत्रित खनन के दायरे में आता है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार अरावली क्षेत्र का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित, करीब 11 प्रतिशत वन क्षेत्र, और 2 से 3 प्रतिशत अन्य संरक्षित श्रेणियों में शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने स्पष्ट सिफारिश की है कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। इस योजना में यह तय होगा कि कहां खनन पूरी तरह वर्जित रहेगा, कहां सीमित अनुमति संभव है और किन क्षेत्रों में पुनर्बहाली प्राथमिकता होगी। यह दृष्टिकोण बताता है कि सरकार का उद्देश्य खनन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नियंत्रण स्थापित करना है।

राजस्थान में अरावली संरक्षण पर सख़्ती और हरियाली के संकल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अवैध खनन ने वर्षों तक पहाड़ियों को छलनी किया, जल स्त्रोतों और जन-जीवन को नुकसान पहुंचाया। गत दो वर्षों में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली के प्रश्न पर अब अस्पष्टता और ढिलाई का दौर समाप्त हो चुका है। सरकार ने 20 जिलों में अवैध खनन के विरुद्ध सघन कार्रवाई की, जिनमें 15 जिलों में विशेष अभियान चलाए गए। खनन मशीनों की जब्ती, वाहनों को सीज करना, प्रकरण दर्ज करना और कठोर दंड, यह संदेश देता है कि कानून अब चयनात्मक नहीं, सर्वव्यापी होगा।

सरकार की नीति केवल प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। अरावली क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए 250 करोड़ की योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, हरियाली विस्तार और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना है। यह एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें कठोर नियंत्रण और सकारात्मक पुनर्निर्माण साथ-साथ चलते हैं।

यह भी एक सच्चाई है कि 2002-03 के दौरान स्वीकृत लगभग 700 खदानों ने अरावली को भारी क्षित पहुंचाई। वर्तमान सरकार इस विरासत से इनकार नहीं करती, बल्कि दावा करती है कि आज की नीति उस अतीत को दोहराने की नहीं, बल्कि उससे सबक लेने की है। यह स्वीकार्यता राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्या को छिपाने के बजाय समाधान की ओर बढ़ने का संकेत देती है।

सरकार की दीर्घकालिक सोच का प्रमाण जून 2025 में शुरू की गई 'अरावली ग्रीन वॉल' परियोजना है। चार राज्यों के 29 जिलों में 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाकर 2030 तक करोड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल बताती है कि सरकार अरावली को केवल बचाने नहीं, बल्कि पुनर्जीवित करना चाहती है।

अरावली प्रकरण में वास्तविक संघर्ष पर्यावरण और विकास के बीच नहीं, बल्कि तथ्य और भ्रम के बीच है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, केंद्र की नीति और राजस्थान में की जा रही सख़्त कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि अरावली के संरक्षण से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वर्षों से चली आ रही अस्पष्टताओं को समाप्त कर एक वैज्ञानिक, न्यायिक और जवाबदेह ढांचा स्थापित किया गया है।

–राजेंद्र गहलोत,
सदस्य राज्यसभा

अरावली के लिए न्याय

अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की कौन सी परिभाषा अरावली की रक्षा करेगी, यह सिर्फ़ डेटा और आँकड़े ही बताएँगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

हाल ही में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनिंदा व्याख्या का शिकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के आदेश के तहत सात निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा से संबंधित है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2024 के आदेश के बाद गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरावली पहाड़ियां: ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-भाग (जमीन) से 100 मीटर या उससे अधिक हो, अरावली रेंज (पर्वतमाला): यदि दो या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा) दूसरा समिति की रिपोर्ट के अनुसार खनन पर रोक से संबंधित है।

तीसरा अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं में अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित है। चौथा निर्देश सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के बारे में बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि सरंडा वन्यजीव अभयारण्य के लिए आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2025 द्वारा एमपीएसएम के निर्देश दिए हैं।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए, एमपीएसएम के दायरे को अदालत द्वारा परिभाषित किया गया है जैसे एमपीएसएम को अरावली परिदृश्य के भीतर खनन के लिए अनुमेय क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और बहाली प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। एमपीएसएम में संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल होगा और इसमें खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपाय शामिल होंगे।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खनन केवल वहीं अनुमेय होगा जहां स्थिरता मानकों को पूरा किया जाता है। अंतिम निर्देश मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है जिन्हें विशेष समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता यह है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की नई परिभाषा से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी भारत के प्रभावित इलाकों में जंगल कटाई और रेगिस्तान बढ़ने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कानूनी सवाल नहीं था जिस पर फैसला किया जाए। कोर्ट के पास फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दो ऑप्शन थे। कमेटी ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन को अपनाया। जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की 19 फरवरी 2010 को सबमिट की गई रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए तीन डिग्री से ज़्यादा ढलान को शामिल किया गया है। एमिकस क्यूरी ने एफएसआइ रिपोर्ट का समर्थन किया। जबकि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस आधार पर एफएसआइ रिपोर्ट का विरोध किया कि अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं से एक बड़ा क्षेत्र बाहर रखा गया है। दूसरी ओर, यदि समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है, तो अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की परिभाषा में बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने समिति के काम की सराहना की, लेकिन कहा कि एफएसआइ को सारंडा की तर्ज पर किया जाना चाहिए। रिट याचिका, एक निरंतर परमादेश होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित निगरानी में है। 20 नवंबर 2025 का आदेश एक ऐसा आदेश है जिसमें भविष्य में, यदि आवश्यकता पड़ी तो, संशोधन किया जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत के अनुसार निपटाया जाता है। सिर्फ़ एफएसआइ पूरा होने पर ही एफएसआइ पैरामीटर द्वारा किए गए दावों की असलियत और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए परिभाषा के असर का पता चलेगा। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की कौन सी परिभाषा अरावली की रक्षा करेगी, यह सिर्फ़ डेटा और आँकड़े ही बताएँगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट फैसला करेगा और अरावली को न्याय देगा। जो भी हो, एफएसआइ पूरा होने तक खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चल रही बहस ने अवैध माइनिंग को रोकने का काम सौंपे गए एनफोर्समेंट एजेंसियों की नाकामी के मुद्दे को छिपा दिया है।

कानूनी न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, निर्णय में गायब है। अरावली मामले के लिए यह कानूनी दृष्टिकोण हितधारकों में विश्वास पैदा करेगा। साथ ही, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा फैसले सुनाए जाने के बाद टिप्पणी करने की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा तय करने का काम एक्सपर्ट कमेटी का है, लेकिन अरावली मामले में कोर्ट द्वारा अप्रूवल की प्रक्रिया ने फैसले को विधायिका की भूमिका में खड़ा कर दिया न्यायिक संयम की आवश्यकता है जैसे कि अरावली मामले और अयोध्या मामले में देखा गया है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि फैसले के लेखक को फैसला सुनाए जाने के बाद अदृश्य हो जाना चाहिए।

शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा हैं। हालांकि अरावली पहाड़ियों और पर्वत है। इसलिए, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा और मापदंडों के खिलाफ विरोध का मतलब है न्यायपालिका संस्था पर ही विश्वास खो देना। आखिर में, जनहित याचिका के फैसले के लिए विस्तृत आदेश का ड्राफ्टिंग ज़रूरी है। आदेश की बेहतर ड्राफ्टिंग से मौजूदा सामाजिक अशांति, पैदा किया गया प्रायोजित भ्रम और बेबुनियाद आरोपों से बचा जा सकता था।

–सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

राशिफल मंगलवार 30 दिसम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, भरणी नक्षत्र रात्रि 3:58 तक, सिद्ध योग रात्रि 1:02 तक, गर करण प्रात: 7:52 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मेष, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग रात्रि 3:58 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 3:58 से आरम्भ होगा। भद्रा सायं 6:26 से बुधवार प्रात: 1:01 तक रहेगी। आज सूर्य पूजा और शाम्ब दशमी है। आज पुत्रदा एकादशी व्रत स्मार्तों का है। आज एकादशी तिथि का क्षय हुआ है। आज से मेला उर्स समाप्त होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:54 से 11:12 तक, लाभ-अमृत 11:12 से 1:47 तक, शुभ 3:04 से 4:22 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 5:39 तक

मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

वृष
घर-